कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/771   दिनांकः– 04/08/2023

–ःकार्यवाही विवरणः–

विषयः– भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले–आउट प्लान) की 17/2023 वीं बैठक दिनांक 01.08.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है। बैठक के दौरान जोन–4 के प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये।

एजेण्डा संख्या 01 :–

विषयः– भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले–आउट प्लान) की जोन–4 की 07/2023 वीं बैठक दिनांक 16.03.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णयः– **समिति द्वारा विचार–विमर्श उपरांत सर्व–सम्मति से गत बैठक दिनांक 16.03.2023 में लिए गए निर्णय की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण के अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।**

एजेण्डा संख्या 02 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
01.08.2023	जोन–4	नारनाडी	780/182	5342 वर्गमीटर	कृषि आधारित उद्योग
आवेदक	श्री अभिषेक जाजू पुत्र श्री रामस्वरूव जाजू				
विषयः–	राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 780/182 रकबा 5342 वर्गमीटर में कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौडाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 18 मीटर है जिससे मानचित्र में दर्शाया जावें एवम् सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

एजेण्डा संख्या 03 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
01.08.2023	जोन–4	नारनाडी	897/209	1460 वर्गमीटर	औद्योगिक एकल भूखण्ड
आवेदक	श्रीमती रेखा अग्रवाल पत्नी श्री शैलेष कुमार अग्रवाल				
विषयः–	राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 897/209 रकबा 1460 वर्गमीटर में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				

निर्णयः–	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः– 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौडाई 60 फीट रखे जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावें। 2. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 3. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नही हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावें। 4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें। 5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 04 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
01.08.2023	जोन–4	नारनाडी	163/2	04.04.00 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री हरिराम पुत्र श्री किशनलाल				
विषयः–	राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 163/2 रकबा 04.04.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की पूर्व अनुमोदित योजना एवं मुख्य सडक से लिंक तथा मौके पर उपलब्धता बाबत् जोन स्तर से स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**				

एजेण्डा संख्या 05 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
01.08.2023	जोन–4	नारनाडी	894/209	0.1494 है0 (1494 वर्गमीटर)	औद्योगिक एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री बालमुकुन्द जांगिड पुत्र श्री पन्नालाल जांगिड				
विषयः–	राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 894/209 रकबा 0.1494 है0 (1494 वर्गमीटर) में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौडाई 60 फीट रखे जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जावें।				

	2. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नही हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावें। 3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 06 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
01.08.2023	जोन–4	नारनाडी	840/202	1780 वर्गमीटर	औद्योगिक एकल भूखण्ड

आवेदक	श्री भरत जांगिड व अर्जुन जागिड पुत्र श्री डूगरराम जी
विषयः–	राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 840/202 रकबा 1780 वर्गमीटर में औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–** 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित मार्ग को 18 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु 18 मीटर रखते हुए सडक मध्य से 9 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि के उत्तर व पश्चिम दिशा में स्थित रास्ते का मार्गाधिकार न्यूनतम 40–40 फीट रखा जावें एवम् सडक मार्गाधिकार हेतु सडक मध्य से 20 फीट भूमि आरक्षित रखी जावें। 3. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 4. आवेदित भूमि में सडक मार्गाधिकार में निर्माण नही हो, की सुनिश्चितता उपरांत ही पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही जोन स्तर पर सम्पादित की जावें। 5. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय पट्टे पर Non-Obnoxious Industries का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें। 6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।

	7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 07 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
01.08.2023	जोन–4	गंगाणा	274/21 व 276/22	12.02.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	मोहम्मद सईद व अजरूदीन खां पुत्रान् निसार खां, श्रीमती ईदी पत्नी श्री निसार खां व साबीर खा व युसुफ खां पुत्रान् हमीद खां				
विषयः–	राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 274/21 व 276/22 रकबा 12.02.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौडाई 18 मीटर की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि में से गुजर रही जोनल डवलपमेंट प्लान की 60 मीटर सडक को योजना मानचित्र में दर्शाया जावें। 3. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित जलीय ईकाई/नदी के सहारे जोनल डवलपेंट प्लान के प्रावधान अनुसार 30 मीटर (100 फीट) वृक्षारोपण पट्टी का अंकन किया जावें। 4. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावें। 6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 7. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 8. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमारकेशन उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जावें। 9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

एजेण्डा संख्या 08 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
01.08.2023	जोन–4	गंगाणा	122/2 व 280/260	04.06.09 बीघा	आवासीय योजना

आवेदक	श्री जितेश बागरेचा पुत्र श्री लूणचन्द बागरेचा व श्री नन्द कुमार पालीवाल पुत्र स्व श्री हरीराम
विषयः–	राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 122/2 व 280/260 रकबा 04.06.09 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौडाई 12 मीटर की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. योजना मानचित्र में सडक के सहारे प्रस्तावित 5 फीट ग्रीन पट्टी को वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित रखा जावें एवम् योजना के उत्तर दिशा में प्रस्तावित पार्क का क्षेत्रफल योजना के कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम 5 प्रतिशत प्रस्तावित करते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें। 3. आवेदित भूमि में से गुजर रही एल.टी लाईन को अन्यत्र शिफ्ट किये जाने बाबत् प्रार्थी से शपथ–पत्र प्राप्त कर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 4. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावें। 6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 7. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 8. अनुमोदित मानचित्र अनुसार मौके पर डिमारकेशन उपरान्त ही भूखण्डों के बेचान आदि की सुनिश्चितता प्रार्थी द्वारा की जावें। 9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 09 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
01.08.2023	जोन–4	बुझावड	481/279	03.13.00 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड

आवेदक	श्री लूणाराम पुत्र श्री चुन्नीलाल
विषयः–	राजस्व ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 481/279 रकबा 03.13.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौडाई जोनल डलवपमेंट प्लान अनुसार 18 मीटर (60 फीट) रखी जावें एवम् सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि के पीछे स्थित जलीय क्षेत्र के सहारे जोनल डलवपमेंट प्लान के प्रावधान अनुसार 18 मीटर (60 फीट) वृक्षारोपण पट्टी का अंकन किया जावें। 3. आवेदित भूमि में से गुजर रही एल.टी लाईन को अन्यत्र शिफ्ट किये जाने बाबत् प्रार्थी से शपथ–पत्र प्राप्त कर ले–आउट प्लान जारी किया जावें।

	4. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 10 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
01.08.2023	जोन–4	बुझावड	272, 272/2	09.19.00 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री अर्जुन कुमार पुत्र श्री लाल बहादूर				
विषयः–	राजस्व ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 272, 272/2 रकबा 09.19.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौडाई जोनल डलवपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर (100 फीट) रखी जावें एवम् सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित सडक की चौडाई जोनल डलवपमेंट प्लान अनुसार 18 मीटर (60 फीट) रखी जावें एवम् सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 3. आवेदित भूमि के पीछे स्थित जलीय क्षेत्र के सहारे जोनल डलवपमेंट प्लान के प्रावधान अनुसार 9 मीटर (30 फीट) वृक्षारोपण पट्टी का अंकन किया जावें। 4. आवेदित भूमि में से गुजर रही एल.टी लाईन को अन्यत्र शिफ्ट किये जाने बाबत् प्रार्थी से शपथ–पत्र प्राप्त कर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 5. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

एजेण्डा संख्या 11 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
01.08.2023	जोन–4	बुझावड	480/279	03.13.00 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड

आवेदक	श्री मोहनराम पुत्र श्री उर्जाराम
विषयः–	राजस्व ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 480/279 रकबा 03.13.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौडाई जोनल डलवपमेंट प्लान अनुसार 18 मीटर (60 फीट) रखी जावें एवम् सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. आवेदित भूमि के पीछे स्थित जलीय क्षेत्र के सहारे जोनल डलवपमेंट प्लान के प्रावधान अनुसार 18 मीटर (60 फीट) वृक्षारोपण पट्‌टी का अंकन किया जावें। 3. आवेदित भूमि में से गुजर रही एल.टी लाईन को अन्यत्र शिफ्ट किये जाने बाबत् प्रार्थी से शपथ–पत्र प्राप्त कर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। 4. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्‌टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्‌टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 12 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
01.08.2023	जोन–4	सूंथला	109/8 मीन	02.17.10 बीघा	होटल (पर्यटन ईकाई) एकल भूखण्ड

आवेदक	श्री विष्णुप्रकाश आर पुगलिया लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री अजय पुगलिया पुत्र श्री विष्णुप्रकाश पुगलिया
विषयः–	राजस्व ग्राम सूंथला के खसरा संख्या 109/8 मीन रकबा 02.17.10 बीघा में होटल (पर्यटन ईकाई) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौडाई मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 30 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 15 मीटर भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु प्रार्थी की भूमि में से आरक्षित रखी जावें। 2. आवेदित भूमि के सामने मौका स्थिति अनुसार नहर मौके पर मौजूद नही है परन्तु मास्टर प्लान–1996, मास्टर प्लान–2023, मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031, जोनल डवलपमेंट प्लान नगर निगम दक्षिण में नहर दर्शित होने के कारण नहर को योजना मानचित्र में दर्शाया जावें एवम् नहर के सहारे जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार वृक्षारोपण पट्‌टी का प्रावधान रखा जावें। नहर की भूमि को यथावत रखा जावे एवम् प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया जावें उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावें। 3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई

	विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 13 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
01.08.2023	जोन–4	मोकलावास	20/1	23.04.00 बीघा	फार्म हाउस एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री दुर्गाराम पुत्र श्री डूगरराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम मोकलावास के खसरा संख्या 20/1 रकबा 23.04.00 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 01. आवेदित भूमि के सामने स्थित मार्ग को 18 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु 18 मीटर रखते हुए सडक मध्य से 9 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 02. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 03. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 04. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

एजेण्डा संख्या 14 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
01.08.2023	जोन–4	लूणावास कंला	31/04	2097.86 मीटर	पैट्रोल पम्प एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री लक्ष्मणराम पुत्र श्री भीकाराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम लूणावास कंला के खसरा संख्या 31/04 रकबा 2097.86 मीटर में पैट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि के जोधपुर–बाडमेंर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौडाई मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 30 मीटर भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क आरक्षित रखी जावें। 2. राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 के प्रावधान 21.5 (5.2) अनुसार पेट्रोल पम्प में राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/बाईपास आदि प्रमुख सडकों के दोनों				

	ओर प्रस्तावित 30 मीटर बफर जोन में हाईवें पर वाहनों की सुविधा हेतु उपयोग/गतिविधि यथा पेट्रोल पम्प (अधिकतम 35 मीटर X 30 मीटर), वे–ब्रिज/ऑटोमोबाईल वर्क शॉप आदि अनुज्ञेय किए जा सकेंगें तथापि ऐसे भूखण्डों पर निर्माण सडक के मार्गाधिकार के पश्चात् न्यूनतम 10 मीटर भूमि बफर हेतु छोडने के पश्चात् ही किये जा सकेंगें एवं इस 10 मीटर बफर में न्यूनतम 6.0 मीटर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा। 3. आवेदित भूमि की 100 मीटर की परिधि में ज्वलनशील गतिविधि के संबंध में जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावें। 4. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड/संबंधित विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जावें। 5. प्रार्थी से संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जावें। 6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 15 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
01.08.2023	जोन–4	धवा–प्रथम	2240/908	2458.40 मीटर	पैट्रोल पम्प एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री पप्पाराम पुत्र श्री किशनाराम				
विषयः–	राजस्व ग्राम धवा–प्रथम के खसरा संख्या 2240/908 रकबा 2458.40 मीटर में पैट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि के जोधपुर–बाडमेंर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौडाई मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 30 मीटर भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क आरक्षित रखी जावें। 2. राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 के प्रावधान 21.5 (5.2) अनुसार पेट्रोल पम्प में राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/बाईपास आदि प्रमुख सडकों के दोनों ओर प्रस्तावित 30 मीटर बफर जोन में हाईवें पर वाहनों की सुविधा हेतु उपयोग/गतिविधि यथा पेट्रोल पम्प (अधिकतम 35 मीटर X 30 मीटर), वे–ब्रिज/ऑटोमोबाईल वर्क शॉप आदि अनुज्ञेय किए जा सकेंगें तथापि ऐसे भूखण्डों पर निर्माण सडक के मार्गाधिकार के पश्चात् न्यूनतम 10 मीटर भूमि बफर हेतु छोडने के पश्चात् ही किये जा सकेंगें एवं इस 10 मीटर बफर में न्यूनतम 6.0 मीटर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा। 3. आवेदित भूमि की 100 मीटर की परिधि में ज्वलनशील गतिविधि के संबंध में जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावें। 4. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड/संबंधित विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जावें। 5. प्रार्थी से संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जावें।				

	6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 16 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
01.08.2023	जोन–4	रोहिला भाण्डू	39/5	04.09.00 बीघा	Non Polluting handicraft Industries
आवेदक	दी जोधपुर हैण्डीक्राफ्टस जरिये भागीदार श्री दिनेश कोठारी पुत्र श्री उम्मेद सिंह कोठारी				
विषयः–	राजस्व ग्राम रोहिला भाण्डू के खसरा संख्या 39/5 रकबा 04.09.00 बीघा में Non Polluting handicraft Industries एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि के जोधपुर–बाडमेंर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौडाई मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 60 मीटर रखे जाने हेतु सडक मध्य से 30 मीटर भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क आरक्षित रखी जावें। सडक मार्गाधिकार उपरान्त 30 मीटर (100 फीट) गहराई की वृक्षारोपण पट्टी हेतु भूमि आरक्षित रखी जावें। 2. आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित राजस्व मार्ग जो जोधपुर–बाडमेंर राजमार्ग से मिलान होता है उक्त रास्ते को 18 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 3. आवेदित भूमि के पश्चिम में स्थित रास्ते को न्यूनतम 40 फीट निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। 4. प्रार्थी द्वारा मिश्रित भू–उपयोग में नॉन पाल्यूटेड हैण्डीक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ आवेदित किया गया है। अतः आस–पास भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु प्रार्थी की भूमि में न्यूनतम 09 मीटर का सुरक्षा बफर सैटबैक के रूप में रखा जाना सुनिश्चित किया जावें। 5. आवेदित भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदित प्रयोजनार्थ औद्योगिक इकाई का संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर, पट्टे पर नॉन पाल्यूटेड हैण्डीक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजन का उल्लेख किया जाना जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें। 6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 7. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई					

		विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 17 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
01.08.2023	जोन–4	नारनाडी	533/1, 533/6, 533/8, 533/12, 533/13,	11.00.00 बीघा	आवासीय योजना (सी.एम.जे.वाई के प्रावधान 3 बी के तहत)
आवेदक	श्री शिवलाल पुत्र श्री प्रहलादराम व श्री लीलाराम पुत्र श्री प्रहलादराम,				
विषयः–	राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 533/1, 533/6, 533/8, 533/12, 533/13, रकबा 11.00.00 बीघा में आवासीय योजना (सी.एम.जे.वाई के प्रावधान 3 बी के तहत) प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णयः–	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार–विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–** 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौडाई जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 18 मीटर रखी जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से समर्पित करवाई जावें। 2. आवेदित भूमि के सामने स्थित जलीय ईकाई के राजस्व रिकॉर्ड अनुसार निर्धारित सीमा उपरान्त जलीय ईकाई के सहारे जोनल डवलपमेंट प्लान के प्रावधान अनुसार वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान रखते हुए वृक्षारोपण पट्टी के उपरान्त प्रस्तावित 18 मीटर सडक का अंकन मानचित्र में किया जावें। 3. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.09.2022 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति उपरान्त मानचित्र जारी किया जावें। 4. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें। 5. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 6. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

एजेण्डा संख्या 18 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
01.08.2023	जोन–4	चौपासनी	46 मीन	00.06.00 बीघा	व्यवसायिक (शोरूम) एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री मोईनुदीन खांन पुत्र हाजी दीन मोहम्मद				
विषयः–	राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 46 मीन रकबा 00.06.00 बीघा में व्यवसायिक (शोरूम) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				

निर्णयः—	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार—विमर्श उपरांत प्रकरण में संशोधित 90/क आदेश (व्यवसायिक प्रयोजनार्थ) जारी करने के उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 19 :—

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
01.08.2023	जोन—4	नारनाडी	240/3, 240/4	02.09.04 बीघा (3960.25 वर्गमीटर)	नॉन पाल्यूटेड हैण्डीकाफ्ट उद्योग

आवेदक	श्रीमती डिम्पल गहलोत पत्नी श्री त्रिलोक टाक व श्री त्रिलोक टाक पुत्र श्री गणपत सिंह जी
विषयः—	राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 240/3, 240/4 रकबा 02.09.04 बीघा (3960.25 वर्गमीटर) में नॉन पाल्यूटेड हैण्डीकाफ्ट उद्योग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
निर्णयः—	**समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार—विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तो के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः—** 1. आवेदित भूमि को प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति बैठक दिनांक 13.03.2023 को पूर्व में लिए गए निर्णय अनुसार पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। आवेदित भूमि एवम् जोनल डवलपमेंट प्लान की 18 मीटर सडक के मध्य प्राधिकरण की खसरा संख्या 258 गै.मु औरण की भूमि में से पहुंच मार्ग हेतु स्वीकृति भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति द्वारा जारी की गयी है। जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि गै.मु औरण की भूमि में पहुंच मार्ग हेतु स्वीकृति दी जा सकती है अतः उक्त की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें। 2. प्रार्थी द्वारा मिश्रित भू—उपयोग में नॉन पाल्यूटेड हैण्डीकाफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजनार्थ आवेदित किया गया है। अतः आस—पास भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु प्रार्थी की भूमि में न्यूनतम 09—09 मीटर का सुरक्षा बफर सैटबैक के रूप में रखा जाना सुनिश्चित किया जावें। 3. आवेदित भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदित प्रयोजनार्थ औद्योगिक इकाई का संबंधित विभाग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर, पट्टे पर नॉन पाल्यूटेड हैण्डीकाफ्ट इण्डस्ट्रीज प्रयोजन का उल्लेख किया जाना जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें। 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ—पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ—पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

04/08/2023

उप नगर नियोजक (द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/ 772-777 दिनांकः– 04/08/2023

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
03. निदेशक (आयोजना/अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
04. उपायुक्त (जोन–4), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
05. सहायक नगर नियोजक (जोन–4),, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
06. प्रोग्रामर/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

04/08/2023

उप नगर नियोजक (द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले–आउट प्लान) की 17/2023 वीं बैठक दिनांक 01.08.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

1.	श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री जय नारायण मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
3.	श्री महेन्द्र चौधरी, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
4.	श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
5.	श्री श्रवण सिंह राजावत, उपायुक्त (जोन–4) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
6.	श्री गणपत लाल सुथार उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य सचिव
7.	प्रियंका चौपडा, सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	

04/08/2023

उप नगर नियोजक (द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव